न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 344/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2010/00009

वादीगण

1 सांवला पुत्र धर्मा

2 जवाना पुत्र धर्मा

3 जेठा पुत्र धर्मा

कौम–प्रजापत, निवासीगण–पलादर

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

प्रतिवादीगण

1 खाना पुत्र गोवा, कौम–प्रजापत

फौत के कायम मुकाम वारिसान्

A–भूरी देवी पत्नी खानाराम

B–पबाराम पुत्र खानाराम

C–चैनाराम पुत्र खानाराम

D–मांसीगाराम पुत्र खानाराम

E–पन्नाराम पुत्र खानाराम

2 दलाराम पुत्र गंगदाराम

3 पंकज पुत्र गंगदाराम

4 प्रवीण पुत्र गंगदाराम

5 परेश पुत्र गंगदाराम

6 कानजी पुत्र गंगदाराम

7 मगना पुत्र रूड़ा

8 ओखा पुत्र रूड़ा

9 मनजी पुत्र उका

10 महादेवा पुत्र उका

11 चैना पुत्र उका

12 सजाराम पुत्र उका, कौम प्रजापत, निवासीगण–प्रजापति नगर बिछावाड़ी, तहसील–सांचौर

13 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत इस्तकरार हक, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 40, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 11.08.2010

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण सिंह गोहिल उपस्थित।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

3. प्रतिवादी संख्या 10 व 12 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

4. प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक :- 3/12/2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बिछावाड़ी जो पुराना रेवेन्यू विलेज है जिसका नया सृजित गांव प्रजापतिनगर है। वादीगण के पुश्तैनी खातेदारी भूमि मौजा बिछावाड़ी में आई हुई है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी की है जिसकी प्रथम जमाबंदी उका, गंगदा, रूड़ा, खाना, धर्मा पिसरान गोवा कौम कुम्हार दर्ज है जिनके संयुक्त खातेदारी में खसरा संख्या 689 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 793 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 665 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सख्या 808 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 811 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा जुमले रकबा 79 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी व कब्जाकाश्त का आया हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की वंशावली प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वादीगण करमणाजी के वंशज है। करमणाजी प्रथम सर्वे के वक्त फौत हो गए थे इसलिए भूमि करमणाजी के पुत्रों के नाम सीधी दर्ज हुई थी जिसमें नाथाजी पहले से ही अलग थे तथा उनके खातेदारी भूमि अलग से प्रथम सर्वे के वक्त दर्ज हो गई उसके बाद शेष दो भाई गोवा एवं हीरा थे जिनमें गोवा व हीरा भी फौत हो गए थे इसलिए भूमि इनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई थी। धर्मा जो प्रथम सर्वे के वक्त मात्र दो वर्ष के थे तथा उनके पिता हीरा फौत हो गए थे तथा मां भी अन्यत्र चली गई थी इसलिए धर्मा गोवा के पुत्रों के साथ पल पोषकर बड़ा हो रहा था क्योंकि गोवा के पुत्र सभी उस वक्त बड़े थे, इसलिए धर्मा उनके साथ ही उनके पुत्रों की तरह निवास कर रहा था। प्रथम सर्वे के वक्त भूमि पैमाईश हो रही थी तथा खातेदारी इन्द्राज हो रही थी, उस वक्त हीरा फौत हो जाने व धर्मा छोटी उम्र में होने से हीरा के हिस्से की भूमि भी गोवा के खातेदारी के साथ बताकर गलत ढंग से गोवा के पांच पुत्र बता दिए थे तथा वादीगण के पिता धर्मा को गोवा का पुत्र बता दिया क्योंकि हीरा की भूमि व रहवासीय ढ़ाणी भी गोवा के साथ मिला ली गई थी इसलिए कुल जमीन में हीरा का आधा हिस्सा होते हुए भी ऐसा न कर गंगदा, रूड़ा, खाना, उका इत्यादि ने वादीगण के पिता धर्मा को अपना भाई बताकर आधा हिस्सा न देकर कुल आराजी में पांचवे बंट में खातेदारी दर्ज करवा दी जबकि पुश्तैनी अनुसार वादीगण के पिता धर्मा के 1/2 हिस्सा होना चाहिए था जबकि अपनी मनमर्जी से 1/5 हिस्से में अपने साथ भाई बताकर वादीगण के पिता को अपने आधे हिस्से से वंचित रखा। गोवा के पुत्र गंगदा वगैरह की नियत शुरू से खराब होने से वादीगण के पिता का आधा हिस्सा होते हुए भी 1/5 हिस्सा बताकर अपना भाई दर्शाया व पांचवे हिस्से की जमीन दी व नये सर्वे के वक्त 2042 तक उसी अनुसार वादीगण के पिता की वल्दियत धर्मा वल्द गोवा चली। नये सर्वे के वक्त प्रतिवादी गंगदा, रूड़ा, खाना, उका ने

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

इनकी ओर से एक प्रार्थना–पत्र ए.एस.ओ जोधपुर कैम्प बिछावाडी के समक्ष एक बंटवाडा करने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया व बंटवाडा चाहा जिसमें वादीगण के पिता की ओर से बंटवाडा करने का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया था, न ही प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ था फिर भी उक्त प्रार्थना–पत्र में यह दर्शाया कि धर्मा हमारा भाई नहीं है जो हीरा का पुत्र है। इस प्रकार वादीगण के पिता धर्मा का नाम अपनी पुश्तैनी भूमि से हटाने का निवेदन किया जिस पर ए.एस.ओ द्वारा वादीगण के पिता को बिना कोई नोटिस दिए व बिना सुने गलत ढंग से वादीगण के पिता का नाम गोवा की खातेदारी भूमि से हटा दिया गया जो प्रथम सर्वे के वक्त वादीगण के पिता का नाम पुश्तैनी हैसियत से दर्ज हुआ उस नाम को सर्वे अधिकारी ने गलत ढंग से खातेदारी ही निरस्त कर दी, जो कतई सही नहीं है। टिनेन्सी ऐक्ट के प्रावधानों के विपरित है इसलिए उस आदेश के आधार पर परिवर्तन हुई खातेदारी को निरस्त करवाने हेतु वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी के नये सर्वे के दौरान नये सृजित खसरा संख्या 1519, 1714, 1736, 1737, 1739, 1740, 1753, 1754, 1399 रकबा क्रमशः 2.00, 3.08, 0.75, 0.34, 0.86, 0.70, 2.67, 0.93, 1.84 हैक्टेयर सृजित हुए जिसमें खसरा संख्या 1737 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि आज भी वादीगण के पिता के संयुक्त खातेदारी की दर्ज है जिसमें वादीगण के पिता की वल्दियत गोवा दर्ज है। इससे प्रमाणित होता है कि वादीगण के पिता की खातेदारी को गंगदा वगैरह ने गलत ढंग से अपने नाम करवाई तथा वादीगण के पिता को अपनी पुश्तैनी भूमि के खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना चाहा है जो गलत है। वादीगण के पिता धर्माजी ने ग्राम पलादर में कुछ भूमि खरीद कर प्राप्त की है जिसमें वादीगण के पिता धर्माजी का नाम वल्दियत में हीराजी दर्ज है। वादीगण द्वारा पुराने राजस्व रेकर्ड की नकलें इत्यादि प्राप्त की तो मालुम हुआ कि नये सर्वे अधिकारियों से मिलकर गंगदा, रूड़ा इत्यादि ने वादीगण के पिता का नाम पुश्तैनी भूमि से हटवा दिया था जिस पर वादीगण को 15 रोज पूर्व इसकी जानकारी नकलें प्राप्त करने पर हुई तब विनायवाद पैदा हुआ। अन्त में वादीगण ने इस्तदुआ चाही गई कि पुराना गांव बिछावाड़ी के खेत खसरा संख्या 689, 793, 665, 808, 811 जुमले रकबा 79 बीघा 18 बिस्वा भूमि के नये सर्वे के दौरान नये सृजित नम्बर 1519, 1714, 1736, 1737, 1739, 1740, 1753, 1754, 1399 जुमले रकबा 13.17 हैक्टेयर में 12.83 हैक्टेयर भूमि का गोवा के पुत्र व पोत्रों में आपसी बंटवाड़ा कर दिया है तथा खसरा संख्या 1737 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि जो पूर्व की भांति खातेदारी यथावत है जिसमें वादीगण के पिता का नाम खातेदारी में दर्ज है सो इसके अलावा शेष आराजी में भी वादीगण के पिता का नाम पूर्व की भांति वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदारी में दर्ज करने की खातेदारी अधिकारों की डिक्री पाने के हकदार है तथा उकाराम वगैरह द्वारा ए.एस.ओ. जोधपुर कैम्प बिछावाड़ी में पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.07.1981 पर दिए गए आदेश के आधार पर परिवर्तन किए गए राजस्व रेकर्ड निरस्त कर उसके पूर्व की स्थिति के अनुसार उनके उतराधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का वादीगण हकदार है तथा उक्त

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

खसरा संख्या में 1/5 हिस्से की बंटवाडा की डिक्री मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादीगण बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा करवाने का हकदार है।

वादीगण द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11 की ओर से जवाबदावा पेश कर वाद का प्रतिरोध कर अपने जवाबदावे में बताया कि वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित भूमि में मूल खातेदार गंगदा, रूड़ा, खाना व उका थे लेकिन भू-प्रबंधन के दौरान भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने उक्त मूल खातेदारों के साथ साथ एक नाम धर्मा वल्द गोवा अंकित कर दिया जबकि गोवा के धर्मा नाम का कोई पुत्र नहीं था। गोवा के मात्र गंगदा, रूड़ा, खाना व उका नाम के चार पुत्र थे जिसमें खाना प्रतिवादी संख्या 1 आज भी जीवित है। गोवा व नथा दो भाई थे जो करमणाजी के पुत्र थे। हीरा को करमणाजी का पुत्र बताया है जो कथन गलत है। धर्मा के नाबालिग होने की मनगढ़त कहानी बनाकर तथ्य अंकित किये गये है। वादीगण के पिता का नाम धर्मा है तथा धर्मा प्रतिवादी के रिश्ते में नहीं है जबकि वादीगण मनगंढत कहानी बनाकर धर्मा को गोवा का भतीज व हीरा का पुत्र बताकर भूमि हड़पने की कोशिश कर रहे है यदि गोवा का भाई हीरा होता तथा धर्मा हीरा के पुत्र होते तो वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा का दावा करते स्वयं वादी यह स्वीकार करते है कि वे गोवा के पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में गोवा के पुत्रों व तत्पश्चात प्रतिवादीगण की खातेदारी में वादीगण का कोई हक व हिस्सा कानूनन नहीं बनता है। वक्त सेटलमेंट जब गंगदा, रूड़ा, खाना, उका का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर इनके पक्ष में सेटलमेंट विभाग द्वारा मिसल बंदोबस्त जारी की गई, उस दौरान सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से त्रुटिवंश धर्मा को भी गोवा का पुत्र बता दिया जबकि धर्मा गोवा के पुत्र नहीं है। इस तथ्य को वादीगण स्वयं स्वीकार करते है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई उक्त गलती उनके ध्यान में आने से उक्त अधिकारियों ने रेकर्ड दुरूस्त कर कानूनसम्मत कार्य किया है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई कोई लिपिकीय त्रुटि को किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है तथा त्रुटियां दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जो त्रुटि सेटलमेंट अधिकारियों ने दुरूस्त की है जो अविवादित त्रुटि है। वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का ही चला आ रहा है। वादीगण स्वयं यह स्वीकार करते है कि उनके पिता धर्मा गोवा के पुत्र नहीं है। वादी ने मात्र वादकारण पैदा होना बताकर मिथ्या कथनों के साथ वाद पेश किया है जबकि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई कानून हक, हिस्सा व कब्जा नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में की गई प्रार्थना को अस्वीकार फरमाते हुए वादीगण का वाद हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 10 व 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 खाना फौत होने पर उनके उतराधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में रेकर्ड पर लिये गये।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

प्रकरण में दोनों पक्षों के वादपत्र व जवाबदावे के अनुसार प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया मौजा बिछावाडी के खेत खसरा संख्या 689, 793, 665, 808, 811 जुमले रकबा 79 बीघा 18 बिस्वा भूमि के नये सर्वे के दौरान नये सृजित खसरा संख्या 1519, 1714, 1736, 1737, 1739, 1740, 1753, 1754, 1399 जुमले रकबा 13.17 हैक्टेयर में 12.83 हैक्टेयर भूमि गोवा के पुत्र व पौत्रों में आपसी बंटवाड़ा कर दिया है तथा खसरा संख्या 1737 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि जो पूर्व की भांति खातेदारी यथावत है जिसमें वादीगण के पिता का नाम खातेदारी में दर्ज है इसके अलावा शेष वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा की डिक्री वादीगण पाने के हकदार है। (जिम्मे वादीगण)
2. आया वाद में प्रार्थना-पत्र ए.एस.ओ जोधपुर कैम्प बिछावाड़ी में दिनांक 31.07.1981 के आदेश के आधार पर परिवर्तन किये गये राजस्व रेकर्ड निरस्त कर उससे पूर्व की स्थिति अनुसार उनके उतराधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड में वादीगण इन्द्राज करने की डिक्री पाने के हकदार है। (जिम्मे वादीगण)
3. आया मौजा बिछावाड़ी के पुराने खेत खसरा संख्या 689, 793, 665, 808, 811 के नवसृजित खसरा संख्या 1519, 1714, 1736, 1737, 1739, 1740, 1753, 1754, 1399 का 1/5 हिस्से में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादीगण बंटवाड़े की डिक्री पाने के हकदार है। (जिम्मे वादीगण)
4. आया वादीगण के बंट में 1/5 हिस्से की भूमि जरिये बंटवाड़ा प्राप्त होती है उस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्व दखलंदाजी नहीं करने बाबत् वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार है। (जिम्मे वादीगण)
5. आया वाद मे वादीगण के पिता का नाम धर्मा है तथा धर्मा प्रतिवादी के रिश्ते में नहीं है। वादीगण मनगंढत कहानी बनाकर धर्मा को गोवा का भतीज व हीरा का पुत्र बताकर भूमि हड़पने की कोशिश कर रहे है। यदि गोवा का भाई हीरा होता तथा धर्मा हीरा के पुत्र होते तो वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा का दावा करते स्वयं वादी स्वीकार करते है कि वे गोवा के पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में गोवा के पुत्रों व तत्पश्चात प्रतिवादीगण की खातेदारी में वादीगण का कोई हक हकूक नहीं होने से वादीगण खातेदारी घोषणा की डिक्री पाने के हकदार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11)
6. आया वाद में उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का ही चला आ रहा है। वादीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। राजस्व रेकर्ड में गलती से धर्मा का नाम आने से नाजायज फायदा उठाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11)

7. आया वाद में वादीगण अपने पिता धर्मा के पिता का नाम गोवा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज देखकर उक्त भूमि गैर कानूनी तरीके से हड़प करने के आशय से बिना किसी कानून सम्मत आधार पर वाद पेश किया है जबकि वादीगण के पिता धर्मा गोवा के पुत्र नहीं है। अतः वादीगण मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा की डिक्री पाने के हकदार है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11)

उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात वादीगण की ओर से पीडब्ल्यू 1 सांवलाराम के बयान लेखबद्व कर ईएक्स पी1 से ईएक्स पी 12 दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये। वादीगण ओर गवाह पेश नहीं करने से वादीगण की शहादत बन्द की गई प्रतिवादी की और से डीब्ल्यू 1 दलाभाई उर्फ दलपत भाई के बयान लेखबद्व किये गये। प्रतिवादीगण और कोई गवाह पेश नहीं करने से प्रतिवादीगण की शहादत बंद की गई तथा प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस अंतिम सुनी गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद में उल्लेखित तथ्यों अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार फरमावें।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जवाबदावें में उल्लेखित तथ्यों अनुसार वादीगण का वाद खारिज फरमावें।

उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन अनुसार तनकीयात वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वादपत्र में वंशावली पेश की है जिसके अनुसार करमणा के तीन पुत्रगण नाथा, गोवा व हीरा है तथा हीरा का पुत्र धर्मा तथा धर्मा के पुत्रगण वादीगण व गोवा के उतराधिकारी प्रतिवादीगण को बताया है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् ईएक्सपी–8 मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 अनुसार उका, गंगदा, रूड़ा खाना, धर्मा पिसरान् गोवा, कौम–कुम्हार, सा.देह खातेदार दर्ज है। ईएक्सपी–9 जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 में भी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है, ईएक्सपी–7 आधार वर्ष जमाबंदी 01.09.1993 से 31.08.2013 के खाता संख्या 109 में भी उका, गंगदा, रूड़ा, खाना, धर्मा पिसरान् गोवा कुम्हार वगैरह दर्ज है। ईएक्सपी–10 मृत्यु प्रमाण पत्र में भी धर्माराम की वल्दियत गोवाराम लिखी है। ईएक्सपी–11 उतराधिकारी प्रमाण पत्र में भी धर्माराम की वल्दियत गोवाराम लिखी गई है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात् वादीगण द्वारा पेश किये गये है जिसमें वादीगण के पिता धर्मा की वल्दियत गोवा लिखी हुई है जबकि वादीगण ने अपने वादपत्र में पेश वंशावली अनुसार धर्मा के पिता हीरा होना बताया है तथा करमणा के तीन पुत्र नथा, गोवा, हीरा होना बताया है परन्तु वादीगण ने ऐसा एक भी दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित किया जावें कि करमणा के तीन पुत्रगण नथा, गोवा व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

हीरा है तथा वादीगण के पिता धर्मा हीरा के पुत्र हो। इसी प्रकार वादीगण ने अपने वादपत्र में धर्मा के पिता हीरा को मानते हुए वादीगण अपना 1/2 हिस्से की खातेदारी का अधिकारी होना बताया है तथा इस्तदुआ में 1/5 हिस्से की खातेदारी की मांग की है जो वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है जो संदेहास्पद होने से तथा वादीगण के पिता धर्मा की वल्दियत हीरा होने बाबत् तथा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने बाबत् दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार नहीं होने से वादीगण तनकी संख्या 01 अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं रहने से तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :— उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है परन्तु तनकी संख्या 01 में निर्णय अनुसार वादीगण अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं वंशावली को साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :— उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है परन्तु तनकी संख्या 1 अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार नहीं होने से तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई थी, इस प्रकार जब वादग्रस्त आराजी में वादीगण को खातेदार माना ही नहीं है तो बंटवाड़ा करवाने का वादीगण हकदार नहीं होने से तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 :— उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है परन्तु तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को खातेदार नहीं माना है तथा तनकी संख्या 3 के निर्णय अनुसार भी वादीगण को बंटवाड़ा करवाने का हकदार नहीं माना है। इस प्रकार वादीगण को वादग्रस्त आराजी में अपना 1/5 हिस्से की खातेदारी व बंटवाड़े का हकदार नहीं माना है। ऐसी स्थिति में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार नहीं होने से तनकी संख्या 4 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05, 06 व 07 :— उक्त तीनों तनकीयों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण द्वारा पेश ईएक्सपी–8, ईएक्सपी–9, ईएक्सपी–7, ईएक्सपी–10 व ईएक्सपी–11 दस्तावेजात् में वादीगण के पिता धर्मा की वल्दियत गोवा लिखी हुई है जबकि वादीगण के वादपत्र के तथ्यों एवं वंशावली अनुसार वादीगण के पिता धर्मा की वल्दियत हीरा तथा करमणा के तीन पुत्र नथा, गोवा, हीरा होना व वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा होना बताया है परन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों एवं वंशावली को साबित करने के संबंध में ऐसा एक भी दस्तावेजात् या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 लगायत 4 में खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादीगण हकदार नहीं होने से तनकी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

चुकी है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 5 लगायत 7 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त विश्लेषण व विवेचन में वादीगण तनकी संख्या 1 लगायत 4 अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तथा तनकी संख्या 5 लगायत 7 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन् करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 3/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर